

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2596]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2596]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

का.आ. 3437(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए फिरोजाबाद जिले के भीतर आने वाली ऐसी भूमि जिसका अर्जन किया जाना है, का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : फिरोजाबाद

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	शिकोहाबाद	(1) कौरारी खेड़ा	159	0.1170
		(2) लहटई	237	0.0066
		(3) कौरारा खुर्द	589	0.0120
			593	0.0490
			594	0.0120
			639	0.0512
		(4) तिलियानी	212	0.4100
		(5) पटसुई न मीर	684	0.0450
		(6) भांडरी	367	0.0590
			369	0.0270
		(7) असुआ	690	0.3248
		(8) किशनपुर मोहम्दाबाद	120	0.1240
		(9) नीव खेरिया	242	0.0440
		(10) आरौंज	608	0.0300
			616	0.0760
		(11) गलामई	43	0.1060
		(12) किशनपुर अरमराजट	81	0.0680
		(13) जिजौली	136	0.5380
		(14) भदान	1848	0.2880
2	फिरोजाबाद	(1) गाजीपुर	167	0.0210
			168	0.0160
		(2) रूपसपुर	63	0.0530
			64	0.3100
		(3) आलमपुर जारखी	176	0.0540
		(4) खेमकरनपुर	74	0.0300
3	टूण्डला	(1) लतीफपुर	68	0.1030
		(2) नगला बलिया	37	0.2360
			40	0.1920
			42	0.0840
		(3) अनवारा	152	0.1440

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/413]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2013

S.O. 3437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Firozabad in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Nagar Magistrate, Firozabad, Uttar Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh.

Name of District : Firozabad

Serial Number	Name of Tehsil	Name of Village	Gata Number	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5
1.	Shikohabad	(1) Kaurari Khera	159	0.1170
		(2) Lahtai	237	0.0066
		(3) Kaurara Khuard	589	0.0120
			593	0.0490
			594	0.0120
			639	0.0512
		(4) Tilyani	212	0.4100
		(5) Patsui Nagla Meer	684	0.0450
		(6) Bhandri	367	0.0590
			369	0.0270
		(7) Ashua	690	0.3248
		(8) Kishanpur Mohmdabad	120	0.1240
		(9) Neev Kehriya	242	0.0440
		(10) Aronj	608	0.0300
			616	0.0760

		(11) Galamai	43	0.1060
		(12) Kishanpur Armrajat	81	0.0680
		(13) Jijoli	136	0.5380
		(14) Bhadan	1848	0.2880
2.	Firozabad	(1) Gazipur	167	0.0210
			168	0.0160
		(2) Rupaspur	63	0.0530
			64	0.3100
		(3) Alampur Jarkhi	176	0.0540
		(4) Khemkaranpur	74	0.0300
3.	Tundla	(1) Latifpur	68	0.1030
		(2) Nagla Valiya	37	0.2360
			40	0.1920
			42	0.0840
		(3) Anwara	152	0.1440

[F. No. 2013/LML/12/7/E C/413]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)